हम नहीं चाहते हैं कि

लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से 21 साल की जाय

भारत सरकार वर्तमान में लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने पर विचार कर रही है। इस प्रस्तावित कदम के जवाब में, हम भारत के 15 राज्यों के सामाजिक-आर्थिक रूप से हाशिए की पृष्ठभूमि वाले 2500 युवा, 96 संगठनों द्वारा चलाई गई प्रक्रिया में, अपने विचार साझा करने के लिए एक साथ आए हैं।

आप में से कुछ के लिए, यह एक प्रगतिशील बदलाव लग सकता है। हम, युवा लोग, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचते।

यहाँ हम परिवर्तन के बारे में अपनी चिंताओं को साझा करते हैं-

1.       शादी की उम्र बढ़ाने से लड़कियों की शिक्षा तक पहुंच में सुधार नहीं होगा क्योंकि हमारे घरों के पास अभी भी सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और मुफ्त शिक्षा की सुविधा नहीं है।

2.       शादी की उम्र बढ़ाने से युवा शादीशुदा लड़कियों और महिलाओं को यौन और प्रजनन स्वास्थ्य की सही, पर्याप्त और पूरी स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं पहुँच पायेगी। वर्तमान में पोषण की ही पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।

3.       शादी की उम्र बढ़ाने से दबाव, अपराधीकरण और युवाओं के बीच सहमति से संबंधों में हिंसा बढ़ेगी।

4.       शादी की उम्र बढ़ाने से हमारे माता-पिता की मानसिकता और सामाजिक मानदंड नहीं बदलेंगे, जो हम लड़कियों को एक बोझ समझकर हमारी जल्द और जबरन शादी को बढ़ावा देते हैं।

5.       शादी की उम्र बढ़ाने से हमें अपने कौशल को विकसित करने के और अच्छे काम के अवसर नहीं मिलेंगे।

इसके बजाय हम मांग करते हैं कि-

1.       सार्थक शिक्षा का अधिकार,

2.       निर्णय लेने के सभी प्लेटफार्मों में शामिल होने और सुनने का अधिकार,

3.       यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और शारीरिक स्वायत्तता और मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार,

4.       सुरक्षित रोजगार के अवसरों का अधिकार।

हमारी याचिका पर हस्ताक्षर करें और महिला और बाल विकास मंत्रालय से कहें कि वे शादी की उम्र में प्रस्तावित वृद्धि को रोकें और इसके बजाय युवाओं की मांगों को पूरा करें।

कृपया, टिप्पणियों के साथ याचिका पर हस्ताक्षर करें, अपने नेटवर्क के साथ साझा करें और हैशटैग के साथ निर्णय निर्माताओं को लिखें जैसे-

#YoungVoicesonMarriage and #knowwhatWEwant

कृपया, इन ट्विटर हैंडल्स का उपयोग कीजिये-

@PMOIndia - Prime Minister’s office

@smritiirani - Minister, WCD

@JaitlyJaya - Chairperson of the Task Force: Ms Jaya Jaitly

आप इस मुद्दे पर अपने विचारों को निम्न निर्णयकर्ताओं को भी सकते है, यह उनके ईमेल हैं-

PMO: [https://pmopg.gov.in/pmocitizen/Grievancepmo.aspx](https://pmopg.gov.in/pmocitizen/Grievancepmo.aspx%22%20%5Ct%20%22_blank)

Ministry of WCD: min-wcd@gov.in

Link to the report: <https://www.concernedforworkingchildren.org/news/2020/07/young-voices-national-report-15-states-nearly-2500-young-people-submission-to-the-task-force-examining-age-of-marriage-and-other-concerns-july-2020/>

आप हमें भी इस पर ईमेल क्र सकते हैं-  cwc@pobox.com